न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौ[sa]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
	प्रकाश चन्द .... बनाम .... राज. सरकार मु.नं.– 19/22 किस्म – 128 LR Act
	सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30.01.26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
30-01-26	अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27-2-26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
27.02.26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को प्रा॰पत्र धारा 128 पर बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रा॰पत्र राजस्थान भू॰ राजस्व 1956 की धारा 128 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
19/2022	23.06.2022	27.02.2026

बउनवान

प्रकाशचन्द शर्मा पुत्र नन्दकिशोर शर्मा, निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा, जिला दौसा।

..अप्रार्थी

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री शिवदत्त जैमिनी।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी की विवादित आराजीयात खाता नया 146 के खसरा सं. 381, 382, कुल किता 02, कुल रकबा 0.98 हैक्टे. ग्राम निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा में स्थित है जिसका लगान नियमित रूप से अदा करता चला आ रहा है एवं आराजी भूमि पर बुजुर्गान के समय से कब्जा काष्त होकर अपने उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है। विवादित आराजीयात प्रार्थी की भूमि में से पूर्व में डराकर एवं दबाव बनाकर जबरदस्ती कच्चा आम रास्ता करीब आठ फुट निकाला दिया गया था। अब भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनः क्रियान्विति ना हो, इसलिए प्रार्थी अब अपनी कब्जे काष्त की आराजी एवं पूर्व की सीमा में स्थित कच्चे रास्ते के बीच पत्थरगढी चाहता है ताकि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी सुरक्षित रहे सके। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बैजूपाडा को निवेदन किया गया परन्तु पत्थरगढी नहीं की गयी। प्रार्थी की उम्र काफी हो चुकी है और पुत्र मजदूरी के लिए बाहर रहते है। इस स्थिति में किसी अन्य दीगर व्यक्ति द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण कर प्रार्थी की कब्जे काश्त की आराजी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता है इसलिए पत्थरगढी आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान के लिए अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा आदेश क्रमांक 02 दिनांक 26.04.2022 की पालना में दिनांक 28.04.2022 को खसरा सं. 381 तथा 382 का खसरा सं. 510 व 380 से मुस्तकिल बिन्दुओं से जरीब चलाकर सीमाज्ञान किया गया परन्तु प्रार्थी की आराजी एवं कच्चे रास्ते के बीच निर्धारण हेतु पत्थर लगा निशानात नहीं किये ताकि पत्थरगढी की जा सके। दिनांक 28.04.2022 को ऑफिस कानूनगो बैजूपाडा, भू.अ.नि गोलाडा एवं बैजूपाडा पटवारी हल्का निहालपुरा, महुखुर्द, गोलाडा, बालाहेडा, लोटवाडा ने सीमाज्ञान किया। उस समय प्रार्थी ने सीमाज्ञान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

के बाद कच्चे रास्ते एवं प्रार्थी की आराजी भूमि जो खसरा सं. 381, 382 में दर्ज है, की सीमा पर पत्थर लगा निशानात के लिए निवेदन किया परन्तु सभी कर्मचारियों/अधिकारियो ने मना कर दिया। कच्चे रास्ते पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लेने से रास्ते की सीमा छोटी होने से प्रार्थी की कब्जे काश्त की आराजीयात को नुकसान होना लाजिम है। वर्तमान में एवं भविष्य में कोई अपूर्णतनीय क्षति उक्त आराजी भूमि एवं कच्चे रास्ते की सीमा को लेकर घट सकती है। अतः निवेदन है कि उक्त आराजी भूमि खसरा सं. 381 व 382 पर पत्थरगढी के आदेश करें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा ने रिपोर्ट दिनांक 10.06.2025 प्रस्तुत की कि वाद में दर्ज आराजी खसरा सं. 381, 382 ग्राम निहालपुरा का सीमाज्ञान दिनांक 28.04.2022 कर दिया गया है। उक्त विवादित आराजी पर उपरोक्त सम्बन्धित खातेदार का कब्जा काष्त है एवं किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। उक्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड है। शेष खातेदार सहमति हेतु वाद में प्रतिवादी बनाया जाना उचित है।

3. प्रार्थना पत्र में अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस का मनन किया। पत्रावली का, विवादित आराजीयात की प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का एवं तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, विवादित आराजीयात खसरा सं. 381, 382 में प्रार्थी 1/3 हिस्से का दर्ज रिकार्ड सहखातेदार है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात का दिनांक 28.04.2022 को तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है। तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा उक्त पत्थरगढी किये जाने के सम्बन्ध में शेष सहखातेदार को सहमति हेतु प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी बनाये जाने हेतु कथन किया है।

4. पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये जाने के लिए विवादित आराजीयात के समस्त पक्षकारों/खातेदारों की सुनवाई किया जाना आवश्यक हैं। इस प्रार्थना पत्र में विवादित आराजीयात खसरा सं. 381, 382 में प्रार्थी के अतिरिक्त अन्य सहखातेदारों को प्रार्थी के द्वारा पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है। इस कारण से यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

5. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 27.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)